विधेयक का संक्षिप्त विश्लेषण

The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010

इस विधेयक को लोक सभा में 1 दिसम्बर 2010 को मिनिस्ट्री आफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवान्स, एण्ड पैन्शन ने पेश किया। इस विधेयक को पर्सनल और पब्लिक ग्रीवान्स, लॉ एण्ड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी (अध्यक्षः जयंती नटराजन) के पास विचार के लिए भेजा गया है। इस पर 30 अप्रैल 2011 तक रिपोर्ट मिलनी थी।

Recent Brief:

The Public Interest Disclosure and Protection of Persons Making the Disclosures Bill, 2010

January 24, 2011

अनिरूद्ध बर्मन

anirudh@prsindia.org

विवेक प्रसाद

vivake@prsindia.org

मार्च 18, 2011

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- यह विधेयक जजों से उनकी पूरी संपत्ति का खुलासा करने के लिये कहता है, कुछ न्यायिक मानक तय करता है और साथ ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के निष्कासन की प्रक्रिया बनाता है।
- जजों को स्वयं अपनी, व अपनी पत्नी/पति, तथा संतान की संपति और देनदारी का पूरा खुलासा करना होगा।
- विधेयक में राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमेटी, कम्प्लेंट स्क्रूटनी पैनल ,व एक इन्वैस्टिगेशन कमेटी की स्थापना की है। कोई भी व्यक्ति किसी जज के खिलाफ उसके अनुचित व्यवहार के आधार पर ओवरसाइट कमेटी कों अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
- अनुचित व्यवहार के आधार पर किसी जज के निष्कासन के लिये संसद में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को ओवरसाइट कमेटी की तहकीकात व जॉच के लिये भेजा जाएगा।
- जजों के विरूद्ध शिकायतें व जॉच गोपनीय रखी जाऐंगी व निराधार आरोपों के लिये शिकायत कर्ता को दंडित किया जाएगा।
- ओवरसाइट कमेटी जजों को सुझाव या चेतावनी दे सकती हैं तथा राष्ट्रपति को उनके निष्कासन की सिफारिश भेज सकती है।

मुख्य मुद्दे और उनका विश्लेषण

- मुख्य बात यह है कि विधेयक में प्रस्तावित कार्यविधि से जजों की जवाबदेही और उनकी स्वतंत्रता के बीच में पर्याप्त संतुलन का निर्वाह संभव है कि नहीं। ओवरसाइट कमेटी में गैर न्यायिक व्यक्ति सदस्य हैं। उनके द्वारा न्यायिक सेवा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का ख़तरा हो सकता है।
- विधेयक में शिकायत की गोपनीयता भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया गया है। प्रश्न यह उठता है कि गोपनीय रहने वाली किसी निराधार शिकायत पर दंड की ज़रूरत है या नहीं।
- स्क्रूटनी पैनल में उसी उच्च न्यायालय से जज सदस्य हैं। यह स्थिति उच्चतम न्यायालय के आन्तरिक कार्यविधि (इन हाउस प्रोसीजर) से भिन्न है।
- ओवरसाइट कमेटी में गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। इस कमेटी की कार्यविधि न्यायपालिका की आन्तरिक कार्यविधि (इन हाउस प्रोसीजर) नहीं है। यह स्पष्ट नही है कि ओवरसाइट कमेटी के द्वारा साधारण दंड देने के अधिकार संवैधानिक रूप से वैध हैं या नहीं।
- विधेयक इस बात की कोई चर्चा नही करता कि संसद के द्वारा दोषी ठहरा दिये जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से जज के निष्कासित किये जाने पर वह उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज कर सकता है या नहीं।

खण्ड अः विधेयक की प्रमुख विशेषताॅए [1]

प्रसंग

संविधान में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जजों को निष्कासित करने की प्रक्रिया संसद में लोक सभा या राज्य सभा में प्रस्ताव पेश कर के ही की जा सकती है[2]। मौजूदा (इनक्वायरी) एक्ट,1968 में जजों की अयोग्यता एवं अनुचित व्यवहार के आरोपों की जॉच के लिये कार्यविधि दी गयी है। फिलहाल दो मामलों की जॉच चल रही हैः कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज सौमित्र सेन तथा सिक्किम उच्च न्यायालय के जज दिनाकरन (पूर्वतःकर्नाटक उच्च न्यायालय)। इससे पहले इस जॉच प्रकिया में केवल एक जज रामास्वामी का मामला था, किन्तु संसद ने उनके निष्कासन की सहमति नहीं दी थी।

अभी इधर हाल के कुछ वर्षों में उच्च न्यायपालिका के अनेकों सदस्यों के ख़िलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं[3]। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने (अ) न्यायिक सेवा में मूल्यों की पुर्नस्थापना, तथा (ब) न्यायपालिका की आन्तरिक कार्यविधि (इन हाउस प्रोसीजर) अपनाने का निर्णय लिया[4]। नेशनल एडवाइसरी काऊॅसिल के द्वारा 2005 में राष्ट्रीय जुडीशियल कमीशन (एन.जे.सी.) पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया[5]। सरकार ने जजेस इनक्वायरी विधेयक का मसौदा तैयार किया और लॉ कमीशन ने इसकी जॉच परख की। संशोधित जजेस (इनक्वायरी) एक्ट, 2006 नें लॉ कमीशन के लगभग सभी सुझावों को शामिल कर लिया और एक राष्ट्रीय जुडीशियल कमीशन (एन.जे.सी.) को बनाने का तरीका पेश किया। हालॉकि यह विधेयक अब रद्द हो चुका है।

प्रमुख तथ्य

जजेस (इनक्वायरी) एक्ट,1968 के स्थान पर यह विधेयक 2010 लाया गया है। यह (अ) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के लिये आचरण के मानक लागू करता है, (ब)उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जजों के विरूद्ध अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाने पर जॉच की मौजूदा कार्यविधि में बदलाव करता है, (स) जजों के निष्कासन की प्रक्रिया में बदलाव करता है, (ड) जजों के विरूद्ध साधारण अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने को संभव बनाता है, (इ) जजों से उनकी संपति का खुलासा करने की मॉग करता है।

न्यायिक मानक

- यह विधेयक जजों से कुछ मानकों के अनुसार आचरण करने की मॉग करता है। इन मानकों का निर्वाह न करने पर जजों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है जैसे भ्रष्टाचार, अपने पद का दुरूपयोग, तथा अपने दायित्वों को पूरा न करना।

- विधेयक में जजो के लिये कुछ कार्य कलाप वर्जित किये गये हैं जैसेः (अ) उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले किसी व्यक्ति से निकटता, (ब) कचहरी में काम करने वाले परिवार के किसी सदस्य को अपने आवास में व्यवसायिक काम करने की अनुमति देना, (स) जज के अपने परिवार, संबन्धी या मित्र के किसी मुकदमें की सुनवायी करना और उस पर निर्णय देना (ह) किसी राजनैतिक मसले पर बहस में हिस्सा लेना या किसी ऐसे मुकदमें पर सार्वजनिक बातचीत करना जिसका निर्णय उसे स्वयं देना है, (ष) किसी कारोबार या व्यापार और सट्टेबाजी में हिस्सा लेना।

जॉच प्राधिकारी

जजों के विरूद्ध शिकायतों की जॉच के लिये विधेयक में तीन संस्थाओं की स्थापना की गयी हैंः राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमेटी, कम्प्लेंट स्क्रूटनी पैनल, व एक इन्वैस्टिगेशन कमेटी।

- राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमेटीः में भारत का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस अध्यक्ष होगा। इसके अतिरिक्त इसमें उच्चतम न्यायालय का एक जज, किसी उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, भारत के अटार्नी जनरल, तथा राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, इसके सदस्य होंगे। इस कमेटी के पास जजों के विरूद्ध शिकायतों की देखभाल एवं निरीक्षण करने के अधिकार होंगे। इसके अतिरिक्त साधारण दंड देनें के अधिकार भी इनके पास होंगे।

- कम्प्लेंट स्क्रूटनी पैनलः उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय में इसका गठन किया जायेगा। एक भूतपूर्व चीफ जस्टिस व दो मौजूदा जज मिल कर इसका गठन करेंगे। यह दल किसी भी जज के प्रति की गयी शिकायत का आरंभिक अध्ययन करेगा। इसके पास आधारविहीन एवं परेशान करने के मकसद से की गयी शिकायत की सूचना देने का भी अधिकार होगा। इस प्रकार की शिकायत करने वाले व्यक्ति को पॉच वर्ष तक की कड़ी सजा और पॉच लाख रूपये तक का दंड दिया जा सकता है।

- इन्वैस्टिगेशन कमेटीः शिकायतों की जॉच करने के लिये इसकी स्थापना ओवरसाइट कमेटी के द्वारा की जायेगी। स्क्रूटनी पैनल यदि किसी शिकायत की जॉच करने के लिये पूछताछ एवं तहकीकात किये जाने की सिफारिश करता है तो इन्वैस्टिगेशन कमेटी की स्थापना की जायेगी। विधेयक में इस कमेटी में नियुक्ति के लिये सदस्यों की योग्यता स्पष्ट नही की गयी है। पर ओवरसाइट कमेटी इन्वैस्टिगेशन कमेटी की योग्यता स्पष्ट कर सकती है।

शिकायत एवं संदर्भ प्रकिया

जजेस (इनक्वायरी) एक्ट,1968 मे दी गयी शिकायत प्रक्रिया को इस विधेयक मे बदल दिया गया है। मौजूदा तौर पर किसी भी जज के निष्कासन की प्रक्रिया का प्रारंभ केवल संसद में प्रस्ताव पारित कर के ही किया जा सकता है। यह विधेयक एक ऐसी प्रक्रिया लागू करता है जिससे कोइ भी व्यक्ति किसी जज के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रमाणित हो जाने पर किसी भी आधारविहीन एवं परेशान करने के मकसद से की गयी शिकायत पर दंड दिया जा सकता है। यह प्रस्तावित परिवर्तन तालिका 1 में दिये गये हैं। साथ ही पृष्ठ 6 पर चित्र 1 देखें।

तालिका 1: विधेयक, 2010 ओर जजेस (इनक्वायरी) एक्ट,1968 के अन्तर्गत शिकायत प्रक्रिया और प्राधिकारी

विषय	जजेस (इनक्वायरी) एक्ट,1968	विधेयक, 2010
व्यक्ति जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं	संसद सदस्य(संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो)	संसद सदस्य या कोई भी अन्य व्यक्ति
अधिकारी जिसके पास शिकायत दर्ज की जा सकती हो	स्पीकर (लोक सभा) या राज्य सभा (अध्यक्ष)	स्पीकर/अध्यक्ष(संसद सदस्यों के द्वारा) ओवरसाइट कमेटी (संसद सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों के द्वारा)
बाद की प्रक्रिया	▪ जॉच के लिये स्पीकर/अध्यक्ष तीन सदस्यीय कमेटी बना सकते हैं।	▪ यदि शिकायत संसद के द्वारा की जाती है तो स्पीकर/अध्यक्ष मामले को ओवरसाइट कमेटी के पास भेजते हैं, जो एक इन्वैस्टिगेशन कमेटी का गठन करता है। अन्य मामलों में ओवरसाइट कमेटी मामले को तीन माह के अन्दर तहकीकात के लिये स्क्रूटनी पैनल के पास भेज देता है।
	▪ इस कमेटी में (अ) उच्चतम न्यायालय से एक जज और किसी उच्च न्यायालय का एक चीफ जस्टिस, तथा (ब)एक प्रतिष्ठित विधिवेता	▪ स्क्रूटनी पैनल ओवरसाइट कमेटी को यह बताता है कि जज के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार हैं या नही। यह रिपोर्ट तीन महीने के अंदर मिल जानी चाहिए यद्यपि इस अवधि को तीन माह के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
	▪ कमेटी अपनी जॉच पूरी कर के रिपोर्ट तैयार करेगी। व इसे लोक सभा और राज्य सभा दोनो के सामने पेश किया जायेगा।	▪ यदि स्क्रूटनी पैनल के मत में जज के ख़िलाफ कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं तो ओवरसाइट कमेटी शिकायत की जॉच के लिये एक इन्वैस्टिगेशन कमेटी बनाती है (यदि मामला संसद के द्वारा भेजा जाता है तो स्क्रूटनी पैनल को इसमें शामिल नही किया जायेगा)। यह जॉच छॅ महीने में पूरी होना चाहिए। यह इन्वैस्टिगेशन कमेटी अपनी जॉच के परिणाम को ओवरसाइट कमेटी के पास भेजती है।
	▪ किसी प्रकार के आरोप प्रमाणित नही होने पर आगे कोई भी कार्यवाही नही की जायेगी।	▪ यदि ओवरसाइट कमेटी आरोपों की सत्यता के प्रति आश्वस्त है तो वह (अ)उस जज को चेतावनी दे सकता है, या(ब) उस जज से स्वैच्छिक इस्तींफा लेने के लिये अनुरोध कर सकता है।
	▪ यदि लगाये गये आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो जज के विरूद्ध प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।	▪ यदि जज इस्तींफा नही देता, तो कमेटी राष्ट्रपति को उस जज को निष्कासित करने की राय दे सकती है। राष्ट्रपति मामले को संदर्भ के लिये संसद के पास भेजेगा।
	▪ यदि संसद के दोनों सदनो के दो तिहाई मतों के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो जज का भ्रष्टाचार या उसकी अयोग्यता प्रमाणित मानी जाएगी।	▪ यदि संसद के दोनो सदन इस मामले को दो तिहाई मतों के द्वारा स्वीकार करते हैं तो जज को निष्कासित किया जा सकता है।

स्त्रोतः The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 ;जजेस (इनक्वायरी) एक्ट,1968; पी.आर.एस.

गोपनीयता और आर.टी.आई. से छूट

- किसी भी जज के विरूद्ध जॉच कार्यवाही में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति को जॉच या शिकायत से संबधित किसी भी सूचना को ओवरसाइट कमेटी से लिखित अनुमति के बग़ैर खुलासा करने से यह विधेयक मना करता है। इस शर्त का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर दंड का विधान करता है। उसे एक महीने तक की सजा दी जा सकती है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।
- किसी भी शिकायत से संबधित कार्यवाही और उसकी लिखित जानकारी को विधेयक सूचना का अधिकार कानून 2005, के सीमा क्षेत्र से स्वतंत्र रखता हे। इन्वैस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट और ओवरसाइट कमेटी के आदेश सार्वजनिक जानकारी है।
- इन्वैस्टिगेशन कमेटी की कार्यवाही का खुलासा सार्वजनिक जानकारी नही है।

संपति और दायित्वों का खुलासा

- जजों को अपनी संपति का खुलासा करना होगा साथ ही उन्हे अपनी पत्नी/पति तथा संतान की संपति का भी खुलासा करना होगा। अपने पद की शपथ लेने के तीस दिन के भीतर उसे ऐसा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जज को प्रति वर्ष अपनी संपति और देनदारी का ब्यौरा भी देते रहना होगा। जिस कोर्ट मे वह जज काम कर रहा है उस की वैबसाइट पर इस की जानकारी उपलब्ध रहेगी।

खण्ड ब: प्रमुख मुद्दे और उनका विश्लेषण

इस विधेयक से जुड़े चार मुख्य तथ्य हैं;(1) जजों के प्रति निर्णय करने के लिये निकायों का गठन (2) गोपनीयता का प्रावधान होने से और निराधार व परेशान करने वाली शिकायतों पर दण्ड की संभावना होने से क्या लोग शिकायत रुक सकती है (3) गैर न्यायिक सदस्यों का जजों पर साधारण दण्ड लगाना (4)क्या जजों को अपने निष्कासन के आदेश के विरूद्ध अपील कर सकना संभव होना चाहिए।

जजों पर फैसला देना

जजों के निष्कासन के लिये प्राधिकरण का गठन

धारा 11, 18, 22

यहॉ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य तथ्य जजों को जवाबदेह बनाए जाने के साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाए रखना है। पर्सनल, पब्लिक ग्रीवान्सेस, कानून और न्याय की स्टैन्डिंग कमेटी[5] तथा लॉ कमीशन ने जजेस (इनक्वायरी) विधेयक, 2005 और 2006 के संदर्भ में इन मुद्दों पर विचार किया है। यह ज़रूरी है कि जजों पर फैसला देने के लिये बनाए गये यह प्राधिकरण का गठन इस संतुलन को बना और दर्शा सकें।

जजेस (इनक्वायरी) विधेयक, 2006 ने जजों के लिये अलग से एक राष्ट्रीय जुडीशियल कमीशन (एन.जे.सी.) बनाने का प्रस्ताव दिया था। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इस प्रकार के कमीशन के निर्माण पर अपनी सहमति दी थी। स्टैंन्डिग कमेटी ने प्रस्ताव किया था कि इस कमीशन का आधार व्यापक होना चाहिए और इस कमीशन को कार्यकारिणी, विधानमंडल व न्यायपालिका, के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उन्होने तर्क दिया है कि यदि कभी गैर न्यायिक सदस्यों की समस्या होती है तो उस के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनायी जानी चाहिये। आंरभिक जॉच करने के लिये एक व्यापक आधार की कमेटी यह विकल्प हो सकती है। इस प्रकार की सशक्त कमेटी में कार्यकारिणी, विधानमंडल व न्यायपालिका तीनों से सदस्य होने चाहिए[6]।

विधेयक 2010 में दी गयी निगरानी कमेटी का स्वरूप स्टैंडिग कमेटी की सिफारिश से भिन्न है। दो गैर न्यायिक सदस्यों में से एक अटार्नी जनरल (कार्यकारिणी के द्वारा नियुक्त), तथा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त (कार्यकारिणी के द्वारा नामित) व्यक्ति होगे। विधेयक में प्रस्तावित कोई भी अधिकारी विधानमंडल सदस्य नही होगा।

तालिका 2 में भारत में प्रस्तावित न्यायिक ओवरसाइट निकायों के गठन को तुलनात्मक ढंग से दिखाया गया है।

तालिका 2:भारत में प्रस्तावित न्यायिक ओवरसाइट निकायों का गठन

	जजेस (इनक्वायरी) विधेयक, 2006 और कानून आयोग	स्टैंडिग कमेटी	2010 विधेयक
गठन	▪ भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ▪ उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम जज ▪ उच्च न्यायालय के दो चीफ जस्टिस	एक व्यापक आधार की कमेटी की सिफारिश की गयी हे जिसमें कार्यकारिणी, वैधानिक व न्यायपालिका समुदाय से सदस्य होंगे। या शिकायतों की आंरभिग जॉच करने के लिये व्यापक आधार की एक अधिकार सम्पन्न कमेटी।	▪ राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमेटी में न्यायिक और कार्यकारिणी से सदस्य होगे। ▪ आरंभिक खोजबीन करने वाले स्क्रूटनी दल मे सभी सदस्य न्याय सेवा से होंगे। ▪ इन्वैस्टिगेशन कमेटी के गठन के बारे में अभी कुछ मालूम नही है।

स्रोतः जजेस (इनक्वायरी) बिल, 2006 ; पर्सनल, पब्लिक ग्रीवान्स कानून और न्याय की स्टैन्डिंग कमेटी; पी.आर.एस.

तलिका 3 में कुछ और देशों के न्यायिक ओवरसाइट निकायों को संक्षेप में दिया गया है।

तलिका 3: कुछ देशों में न्यायिक ओवरसाइट निकाय

	जॉच निकाय	योग्यता	जज के निष्कासन के अधिकार
इंग्लैण्ड और वेल्स	न्यायिक नियुक्ति आयोग और औम्बुड्समैन	बिना किसी कानूनी ज्ञान के साधारण व्यक्ति	विधानमंडल
कनाडा	ओवरसाइट आयोग के दो सदस्य और न्याय मंत्री के द्वारा नामित व्यक्ति	जज	विधानमंडल
यूनाइटेड स्टेट	न्यायिक समीति	जज	न्यायिका और विधानमंडल
फ्रान्स	ओवरसाइट आयोग	जज, अभियोग लगाने वाला और तीन अन्य ऐसे सदस्य जो जज या विधानमंडल से नही होते।	ओवरसाइट आयोग
जर्मनी	संघीय संवैधानिक अदालत	जज	संघीय संवैधानिक अदालत
साउथ अफ्रीका	ओवरसाइट आयोग	मन्त्री, विधानमंडल, वकील, कानूनवेता, और जज	विधानमंडल के दो तिहाई बहुमत के बाद कार्यकारिणी

स्रोत : लॉ कमीशन की 195वी रिपोर्ट; यू.एस.कोर्ट आफ अपील; पी.आर.एस.

स्क्रूटनी पैनल का गठन

धारा 12

विधेयक की प्रस्तावना के अनुसार सब से पहले उसी कोर्ट के जजों के द्वारा इस बात की तहकीकात होगी कि जज के खिलाफ दर्ज की गयी शिकायत जॉच किये जाने लायक है या नही। स्क्रूटनी पैनल यदि शिकायत को किसी योग्य नही मानता तो उस स्थिति में विधेयक में ओवरसाइट कमेटी के द्वारा उस शिकायत कें पुनः निरीक्षण किए जाने की बात नही कही गयी है।

1997 में उच्चतम न्यायालय ने जजों के अनुचित व्यवहार के खिलाफ जांच के भिन्न आन्तरिक तरीके अपनाये थे। उसमें कहा गया था कि जॉच कमेटी में दो उच्च न्यायलयों के चीफ जस्टिस रहेंगे तथा एक अन्य उच्च न्यायालय का जज[7]। आरोपी जज जिस न्यायालय से हैं उससे इन दो चीफ जस्टिस का भिन्न न्यायालय से होना आवश्यक है। इससे इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया कि उसी न्यायालय के जज मामले की जॉच नही करेंगें। तालिका 4 में मौजूदा आन्तरिक कार्यविधि और विधेयक के द्वारा प्रस्तावित कार्यविधि की तुलना की गयी है।

तलिका 4: उच्चतम न्यायलय के 1997 के निर्णय और विधेयक 2010 के अनुसार कमेटी का गठन

	उच्चतम न्यायालय की आन्तरिक कार्यविधि	विधेयक 2010
उच्च न्यायालय का जज	दो अन्य उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस जो आरोपी जज के न्यायालय से नही होंगे तथा एक अन्य उच्च न्यायालय से न्यायाधीश।	स्क्रूटनी पैनलः इसकी अध्यक्षता उसी न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस करेगे और उसी अदालत के दो मौजूदा जज।
उच्चतम नयायालय का जज	उच्चतम न्यायालय के तीन जज	ऊपर के समान ही
भूमिका	जॉच करना और काम को वापिस ले लेना, सार्वजनिक नियंत्रण, चेतावनी देने जैसे दण्ड एवं हर्जाने की सिफारिश करना ।	ओवरसाइट कमेटी को यह बताना कि आगे जॉच की ज़रूरत है अथवा नहीं।

स्रोतः लॉ कमीशन की 195वी रिपोर्ट ;The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 ;पी.आर.एस.

जजेस (इनक्वायरी) बिल, 2006 की स्टैन्डिंग कमेटी ने छानबीन एवं जॉच के लिये व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ एक निकाय की सिफारिश की है। इसमें सुझाव दिया गया है कि इस निकाय में न्यायिका, विधानमंडल और अदालत के वकील समुदाय में से प्रतिनिधि होने चाहिए। इस 'सशक्त कमेटी' के प्रस्ताव के प्रमुख कारण उन्होनें यह दिये हैंः (अ) यह एक व्यापक प्रतिनिधित्व करने वाली निष्पक्ष संस्था होगी,(ब) इससे आरंभिक स्तर पर ही जॉच पड़ताल हो सकेगी,(स) व्यापक प्रतिनिधित्व होने से विश्वसनीयता व पारदर्शिता के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है।

निराधार शिकायतों पर दण्ड

धारा 16, 53

विधेयक सभी शिकायतों को गोपनीय रखे जाने की मॉग करता है। गोपनीयता को भंग करना दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त निराधार परेशान करने वाला आरोप का यदि सार्वजनिक खुलासा किया जाता है तो वह अदालत की अवहेलना एक्ट,1971 के आधीन दण्डित किया जा सकता है। यह दोनो बचाव किसी भी जज को मान हानि से सुरक्षा देते हैं। यह भी सच है कि शिकायतों के गोपनीय रखे जाने से जजों की बदनामी की संभावना नहीं रहती है। इसलिये निराधार आरोपों के विरूद्ध एक अतिरिक्त रक्षा कवच अनावश्यक लगता है।

दण्ड की मात्रा समान प्रकार के अन्य अपराधों के मुकाबले अधिक है। अदालत की अवहेलना एक्ट,1971 छॅ महीने की साधारण सजा और 2000 रू तक का नकद जुर्माने का प्रावधान करता ह[8]। जजेस (इनक्वायरी) बिल, 2006 (व लॉ कमीशन की रिपोर्ट) ने अधिकतम एक वर्ष तक की साधारण सजा और 25000 रू तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है। जबकि यह विधेयक पॉच वर्ष तक की सजा और पॉच लाख रू तक के जुर्माने को लागू करता है।

साधारण उपायों की संवैधानिक वैधता

धारा 34

यह विधेयक कुछ मामलों में ओवरसाइट कमेटी से कुछ साधारण उपाय लागू करने की सहमति देता है जैसे (अ) सलाह देना, (ब) चेतावनी देना। उच्चतम न्यायालय[9] और लॉ कमीशन[7] ने पूरी तरह से न्यायिक सेवा के द्वारा निर्मित ओवरसाइट संस्थाओं के द्वारा लागू किये गये साधारण दण्ड को संवैधानिक माना है। लॉ कमीशन ने इन साधारण प्रकार के उपायों के लागू किये जाने को पूरी तरह से विभागीय या आन्तरिक तरीका कहा है। क्योकि यहॉ न्यायिका में ही सारे अधिकार स्थित हैं अतः किसी भी प्रकार से यह कार्यकारिणीया या विधानमंडल के द्वारा अधिकारों का अतिक्रमण नही ह[10]।

विधेयक में प्रस्तावित ओवरसाइट कमेटी में न्यायिक सदस्य के साथ ही कार्यकारिणी से भी सदस्य होंगे। अतः यह स्पष्ट नही होता कि इसे न्यायिका की आन्तरिक प्रकिया माना जाए या यह न्यायिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा का हनन है।

अपने निष्कासन के विरूद्ध जज का उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार

1993 के एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि एक जज राष्ट्रपति के द्वारा अपने निष्कासन के आदेश के विरूद्ध जुडीशियल रिव्यू की मॉग कर सकता है[11]। विधेयक इस बात की कोई चर्चा नहीं करता कि निष्कासित जज को क्या उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार है। अतः इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संसद के द्वारा पारित निष्कासन के आदेश पर एक जज को उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षण की अपील करने का अधिकार ह[2]। स्टैंडिग कमेटी के अनुसार राष्ट्रपति का आदेश अन्तिम है और उसकी निश्चयातम्कता पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता अतः इस मामले में अपील का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

चित्र 1: उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के विरूद्ध शिकायतों की जॉच प्रक्रिया

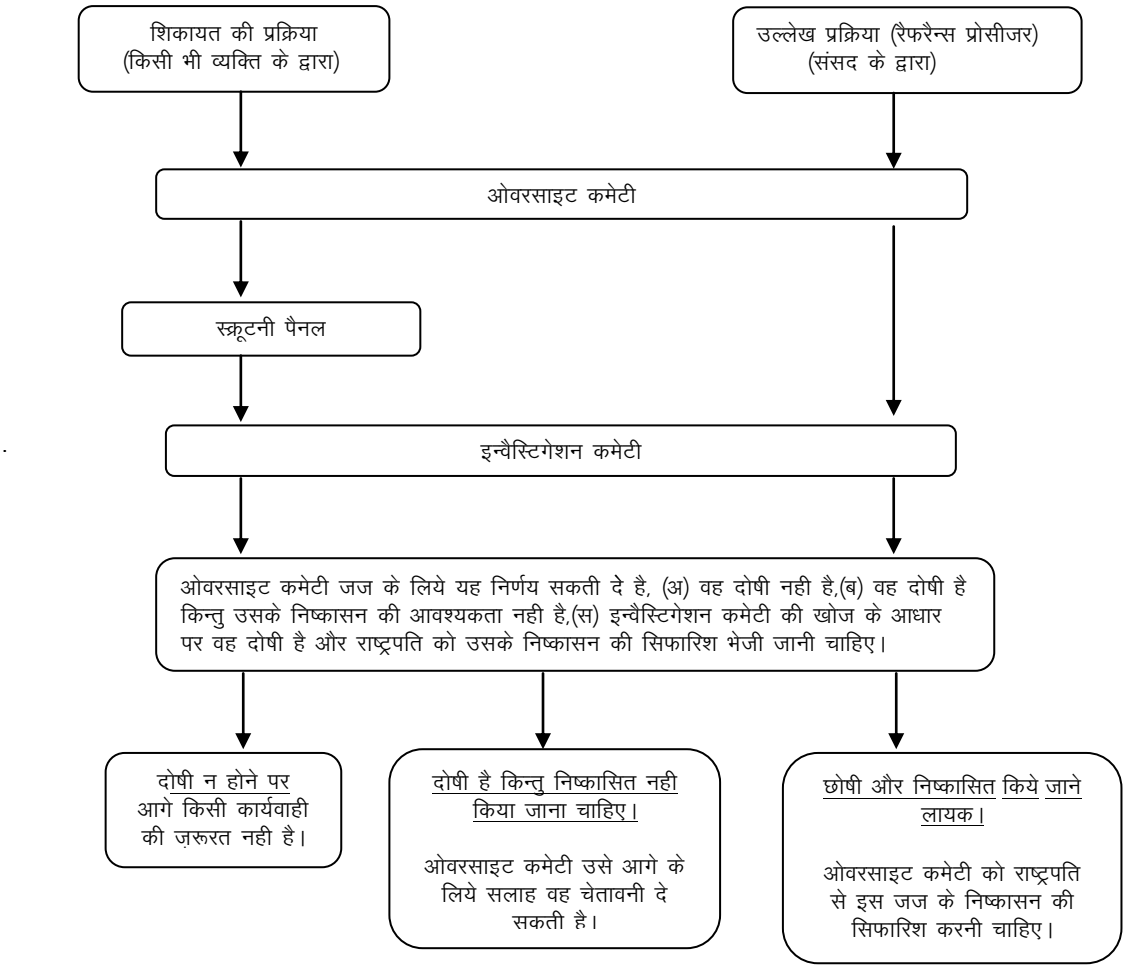

• उल्लेख प्रक्रिया के अन्तर्गत इन्वैस्टिगेशन कमेटी का जॉच परिणाम चाहे कुछ भी हो स्पीकर/अध्यक्ष के पास अन्तिम रिपोर्ट ओवरसाइट कमेटी की ही भेजी जाती है।

Notes

[1] This Brief has been written on the basis of the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 introduced in the Lok Sabha on December 1, 2010.

[2] Article 124 of the Constitution of India.

[3] CBI gets Chief Justice nod to probe Nirmal Yadav Case, Hindustan Times, http://www.hindustantimes.com/CBI-gets-chief-justice-nod-to-probe-Nirmal-Yadav-case/Article1-594984.aspx; Justice Soumitra Sen to be impeached for misusing public funds, Times of India, http://timesofindia.indiatimes.com/india/Justice-Soumitra-Sen-to-be-impeached-for-misusing-public-funds/articleshow/6900744.cms

[4] Law Commission of India 195th Report on he Judges (Inquiry) Bill, 2005. January 2006.

[5] "A National Judicial Commission: Judicial Appointments and Oversight", Concept Papers, National Advisory Council, http://nac.nic.in/concept%20papers/Judicial_Commission.pdf.

[6] Twenty First Report on the Judges (Inquiry) Bill, 2006. Department-Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, 17th August 2007.

[7] Law Commission of India 195th Report on The Judges (Inquiry) Bill, 2005. January 2006.

[8] Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971.

[9] .C. Ravichandran Iyer v. Justice A.M.Bhattacharjee, 1995 (5) SCC 457.

[10] Chapter 20 of the 195th Report of the Law Commission of India.

[11] Sarojini Ramaswamy v. Union of India (1992) 4 SCC 506 (Para 78).

यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेज़ी में तैयार की गयी थी। हिन्दी में इसका अनुवाद किया गया है। हिन्दी रूपान्तर में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेज़ी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

घोषणा: आपको यह रिपोर्ट आपकी सूचना के लिए प्रस्तुत की जा रही है। आप पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च ('पी.आर.एस.') का उचित उल्लेख देते हुए इसका पूर्ण एवं आंशिक पुनः प्रस्तुतिकरण एवं वितरण अव्यवसायिक उद्देश्य से कर सकते हैं। यहॉ पर व्यक्त विचार पूर्णतः इसके लेखकों के है। पी.आर.एस. का पूरा प्रयास विश्वसनीय और सही सूचनाओं का उपयोग करना है किन्तु पी.आर.एस. ऐसा कोई दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री समग्र और पूरी तरह से यथार्थ है। पी.आर.एस. एक स्वतंत्र और अव्यवसायिक व्यक्ति समूह है। इस रिपोर्ट का इसके उपयोग करने वालों के मत एवं उद्देश्य से कोई संबन्ध नहीं है।